राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 407/2015/जोधपुर

वणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, जोधपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मै0 दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकोन प्रा0लि0
गांव गडिया, तह0 पिण्डवाडा, नया पता–काकांणी, जोधपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक। ..... अपीलार्थी की ओर से
श्री आर आर सिधंवी
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :22.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2014 जो अपील संख्या–40/आरवेट/सिरोही/2014–15 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहार द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर–जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 8(3) के तहत् पारित आदेश दिनांक 28.06.2014 को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी को मैसर्स गैरीसन इंजीनियर (ए0एफ0) नाल, बीकानेर (जिसे आगे "अवार्डर" कहा जायेगा) द्वारा **"रनवे कार्य"** का संविदा कार्य रू. 99,43,49,616.40/– का प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवार्डेड संविदा कार्य हेतु कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये उक्त संविदा कार्यों को **राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 में निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1.5 प्रतिशत हेतु Exemption Certificate no 81** दिनांक 15.11.2011 को जारी किया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार ने अपने बजट 2012, अधिसूचना क्रमांक **एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12–114 दिनांक 26.03.2012 व 01.04.2012** ई.सी. फीस में संशोधन किया जाकर मुक्ति शुल्क में कमी की गई। इस पर प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष

22/01/18

लगातार.....2

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पूर्व जारी ईसी क्रमांक 81 दिनांक 15.11.2011 में संशोधन करने का निवेदन किया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना व माननीय उच्च न्यायालय , जोधपुर के निर्णय के आलोक में प्रकरण विधिसम्मत संशोधन करने हेतु संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील विभाग द्वारा पेश की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को वर्क ऑर्डर जारी होने की दिनांक 25.10.2011 थी तथा प्रत्यर्थी को उक्त वर्क ऑर्डर पर दिनांक 15.11.2011 को 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि राज्य सरकार ने अपने बजट 2012, अधिसूचना क्रमांक **एफ. 12(15)एफडी/टैक्स/12–114 दिनांक 26.03.2012** से पूर्व अधिसूचना को संशोधित किया है जो कि दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है। अतः प्रत्यर्थी को इस अधिसूचना का लाभ नहीं दिया जा सकता था। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को विधिसम्मत संशोधन करने के आदेश दिनांक 16.09.2014 पारित करके विधिसम्मत त्रुटि की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. प्रत्यर्थी अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि **राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 में निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1.5 प्रतिशत हेतु Exemption Certificate no 81** दिनांक 15.11.2011 को जारी किया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार ने अपने बजट 2012, अधिसूचना क्रमांक **एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12–114 द्वारा दिनांक 01.04.2012** से ई.सी. फीस में संशोधन किया जाकर मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत की गई। इस अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कर मुक्ति प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु निवेदन किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रकरण आवश्यक विधिसम्मत

22/01/18

लगातार.........3

संशोधन हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक16.09.2014 पूर्णतया विधिसम्मत व न्यायोचित है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1641/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 03.09.2014** का न्यायिक दृष्टात पेश करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व **राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006** व **अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 का अध्ययन करने के पश्चात्** अब हस्तगत प्रकरण में जो बिन्दु विवादित है वह यह कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य निष्पादित करार दिनांक 25.10.2011 के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांकित 15.11.2011 को अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में 1 प्रतिशत की दर से संशोधित कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये था?

7. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2014 द्वारा मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र में संशोधन को अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी व्यवहारी को दिनांक 15.11.2011 को जारी EC प्रमाण पत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत D.B. Civil S.A.W. No 710/2013 उनवान मैसर्स अनुराग एन्टरप्राइजेज बनाम राजस्थान राज्य के परिपेक्ष में संशोधित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को दिनांक 01.04.2012 प्रभावी होना निर्देशित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत D.B. Civil S.A.W. No 710/2013 निर्णय दिनांक 03.01.2014 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 राज्य सरकार को मुक्ति शुल्क में संशोधन का अधिकार है। अधिसूचना के लागू होने के पूर्व की अवधि के लिये संविदा कार्य संबंध में जारी मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र के अधीन कार्य यदि अधिसूचना अवधि के बाद भी चल रहे है तो अधिसूचना अवधि के बाद किये गये कार्यो पर नई संशोधित दरें प्रभावी होगी।

8. इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 को दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी किया गया है। अतः दिनांक 01.04.2012 से पूर्व अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 प्रभावी है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के

22/01/18

लगातार.....4

अनुसरण में व्यवहारी को दिनांक 15.11.2011 को EC प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अतः अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अधीन जारी EC प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2012 तक प्रभावी है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में व्यवहारी द्वारा सम्पत्ति का माल के रूप में जो हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किया गया है वह 1½ की दर से तथा जिस माल का हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से किया गया है उसका अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में 1 प्रतिशत की दर से लागू होगा। उपरोक्त विवेचनानुसार व्यवहारी EC प्रमाण पत्र में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

9. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी व्यवहारी को दिनांक 15.11.2011 को जारी EC प्रमाण पत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी होने से भूतलक्षी प्रभाव से पूर्व में जारी EC प्रमाण पत्र दिनांक 15.11.2011 से ही ई.सी. में संशोधित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.09.2014 अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसरण में जारी EC प्रमाण पत्र दिनांक 15.11.2011 के अनुसार व्यवहारी द्वारा सम्पत्ति का माल के रूप में जो हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किया गया है उस पर कर–मुक्ति प्रमाण पत्र वह 1½ की दर से तथा जिस माल का हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से किया गया है, उसका अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में 1 प्रतिशत की दर से पूर्व में जारी E.C. प्रमाण पत्र में संशोधन करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरुप अपीलार्थी राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.09.2014 व कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 28.06.2014 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसरण में जारी EC प्रमाण पत्र दिनांक 15.11.2011 व्यवहारी द्वारा सम्पत्ति का माल के रूप में जो हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किया गया है उस पर कर–मुक्ति प्रमाण पत्र 1½ की दर से तथा जिस माल का हस्तान्तरण दिनांक 01.04.2012 से किया गया है, उसका अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में पूर्व में जारी ई.सी. में संशोधन करते हुये 1 प्रतिशत की दर से संशोधित ई.सी. प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

22/01/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य